तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही	नम्बर व की एवं में जारी

25/03/26 पत्रावली पेश। पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी संवत् 2074-77, विरासत नामान्तरण, राजस्व अभिलेख, तहसीलदार रिपोर्ट व पूर्व की जमाबन्दीयां आदि का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार राजस्व ग्राम सुन्दरीपाड़ा तहसील कुशलगढ़ में स्थित आराजी नम्बर 97 कुल रकबा 0.7600 हैक्ट. कुल लगान 0.3400रु जो कि प्रार्थी व अन्य संस्थातेदार काश्त वगैरह की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि होकर वे मौके पर काबिज है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में स्वयम का वास्तविक नाम अजीतसिंह पुत्र मेहा जाति मीस बताया गया, प्रार्थी के प्रार्थनापत्र अनुसार पिता मेहा पुत्र वक्ता की मृत्यु के बाद वक्त नामान्तरण विरासत अजीतसिंह पुत्र मेहा के स्थान खतरा पुत्र मेहा दर्ज रिकोर्ड किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार गलत नाम खतरा पुत्र मेहा के स्थान पर अजीतसिंह पुत्र मेहा दर्ज कर शुद्ध किया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक होना बताया।

पत्रावली को दर्ज रजिस्टर करने के बाद तहसीलदार कुशलगढ़ से जाँच रिपोर्ट ली गई। भूमिधारी से प्राप्त जाँच रिपोर्ट का अवलोकन करने पर प्रार्थी का अध्यापक होकर राजकीय सेवा में होना बताया है, परन्तु पत्रावली में अजीतसिंह नाम से राजकीय (राज्य सरकार) से संबंधित कोई भी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। भूमिधारी तहसीलदार की जांच रिपोर्ट में स्पष्ट अवश्य भी नहीं की गयी है कि प्रार्थी का नाम शुद्धि किया जाना उचित है या नहीं। पत्रावली में प्रार्थी के द्वारा पात्रता सिद्ध करने हेतु सामान्य दस्तावेज (आधार कार्ड, पेन कार्ड, दसवीं की मार्कशीट) संलग्न है, जिसमें भी प्रार्थी के दस्तावेजों में नाम भिन्न-भिन्न होना पाया गया। पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र में शुद्धि हेतु दिया गया नाम अजीतसिंह परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से भिन्न (मेहा) नहीं रखा रहा है। प्रार्थी के पिता की मृत्यु के चार माह बाद 03.06.1981 से विरासत नामान्तरण से जमाबन्दी संवत 2055-58 से जमाबन्दी संवत 2074-77 तक प्रार्थी का नाम खतरा पुत्र मेहा चला आ रहा, प्रार्थी के द्वारा 44 वर्ष बाद संज्ञान में आना बताया जाने के पश्चात् बिना स्पष्ट प्रमाण दिये प्रार्थनापत्र न्यायालय में लगाया जाना तथा वादी वकील द्वारा इस संबंध में बहस में भी कोई प्रमाण नहीं दिये जाने से तथा पत्रावली या जाँच रिपोर्ट में भी कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलने तथा इन सभी कारणों को मददेनजर रखते हुए खतरा पिता मेहा के स्थान पर अजीतसिंह पिता मेहा किया जाना उचित नहीं प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थनापत्र में शुद्धि हेतु कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं होने से इस प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही नहीं होने से पत्रावली को फैसल शुमार कर नम्बर से कम किया जावें।

उपखण्ड अधिक
कुशलगढ़ जिला बांसवा